न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी : प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 427/2023

वादपत्र अन्तर्गत धारा : 88/53 आर.टी.ए.

सोहन सिंह पुत्र गुरदीपसिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

— वादी

बनाम्

1. गुरदीप सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
2. हरदीप कौर पत्नी गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
3. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ,लीलांवाली जरिए मैनेजर।
4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।
5. मंदर सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

—प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :—

1. **श्री ओमप्रकाश शर्मा — अधिवक्ता वादी**
2. **श्री नवरत्न स्वामी — अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1,2 व 5**

<u>निर्णय</u>

वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस न्यायालय में पेश किया गया जिसके तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2 व 5 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 एलएलडब्ल्यू खाता संख्या 123/17 में योग खाता 0.013 हि. तथा चक 1 एलएलडब्ल्यू खाता संख्या 83/10 में योग खाता 2.277 हि. व खाता संख्या 82/15 में 0.228 है0 तथा चक 4 एमएमके खाता संख्या 207/20 में योग 1.608 हि. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी ने घरेलू विभाजन मुताबिक भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने बाबत दावा प्रस्तुत किया। प्रकरण दर्ज

रजिस्टर किया गया। दिनांक 18.12.2023 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2 तथा 5 ने अपना आपसी राजीनामा पेश किया, जो संलग्न (फैसला का पेज नं. 3 व 4) है एवं वादपत्र का अभिन्न हिस्सा रहेगा।

क्रियात्मक आदेश

वाद पर गौर किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2 व 5 एक ही परिवार के सदस्य है। इसलिए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2 व 5 का आपसी राजीनामा विधिसम्मत है। अतः वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूमि के रहनमुक्त हो जाने के पश्चात संलग्न राजीनामा (फैसला का पेज नं. 3 व 4) मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमल बरामद करें।

आदेश मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 18.12.2023 को जारी किया गया। अलग से डिक्री जारी करने की जरूरत नहीं है। आदेश को ही डिक्री समझा जाएगा।

(प्रभजोत सिंह गिल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजीनामा
अर्न्तत आदेश 23 नियम 3
व्यवहार प्रकिया संहिता

बअदालत ए.सी.साहब,
संगरिया

सोहनसिंह बनाम गुरदीपसिंह आदि

राजस्व वाद सं. 07/23

श्रीमान् जी,

उपरोक्त अनवान सदर के प्रकरण में वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1–2 व 5 के मध्य राजीनामा हो चुका है। मुताबिक राजीनामा वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1–2 व 5 के हिस्सा में निम्न प्रकार से भूमि आई है।

(क) वादी सं. सोहनसिंह पुत्र गुरदीपसिंह जाति जटसिख साकिन लीलांवाली कब्जा काश्त की भूमि

चक नं. 2 एल.एल.डब्ल्यू. खाता संख्या 123/17 सम्वत् 2071 से 2074

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर
155/213	1	6/3/0.013, योग 0.013 है.नहरी

चक नं. 1 एल.एल.डब्ल्यू. खाता संख्या 82/15 सम्वत् 2071 से 2074

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर
156/213	38	3/1/0.203, 3/2/0.025, योग 0.228 है.

चक नं. 4 एम.एम.के. खाता संख्या 207/20 सम्वत् 2073 से 2076

155/202	19	2/1/0.120, 3/0.165, 8/0.253, 9/1/0.184, 12–13/0.506,
156/204	38	18/2/0.127, 19/0.253, योग 1.228 है.

महायोग– 1.469 है0 नहरी/बारानी1 मय गै0मु.

(ख) प्रतिवादी संख्या–1–गुरदीपसिंह पुत्र गुरबचनसिंह 2–हरदीपकौर पत्नी गुरदीपसिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली की बहिब0 भूमि का विवरण :–

चक नं. 1 एल.एल.डब्ल्यू. खाता संख्या 83/10 सम्वत् 2071 से 2074

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर
153/210	1	2/0.253, 9/0.253, 12/1/0.127, 13/2/0.126, 18–23/0.506,
153/211	17	4–7–14/0.759, 17/1/0.152, 17/2/0.101,

योग 2.277 है. नहरी/बारानी1 मय गै0मु0

हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी पक्षकारान

कृ.प.उ.

Sohan Singh

गुरदीपकौर हरदीपकौर मन्दरसिंह

(ग) प्रतिवादी संख्या—5—मन्दरसिंह पुत्र गुरबचनसिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली की भूमि का विवरण :—

चक नं. 4 एम.एम.के. खाता संख्या 207/20 सम्वत् 2073 से 2076

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर	
156/204	38	18/2/0.127, 19/0.253,	योग 0.380 है.
		महायोग— 0.380 है0 नहरी/बारानी1	

2—यह कि राजीनामा के पहरा संख्या एक में वर्णित भूमि अनुसार चक न. 2 एल.एल. डब्ल्यू खाता संख्या 123/17 में कुल 0.013 हि. तथा चक न. 1 एल.एल.डब्ल्यू खाता संख्या 82/15 में कुल 0.228 है0 तथा चक न. 4 एम.एम.के. खाता संख्या 207/20 में कुल 1.228 है0 इस प्रकार कुल 1.469 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार है उक्त खातों से प्रतिवादी0 संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी का हिस्सा बढाया जावे तथा चक नम्बर 1 एल.एल.डब्ल्यू खाता सं. 83/10 प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 कुल 2.277 है0 भूमि के बहिब0 खातेदार काश्तकार है उक्त खाता से वादी का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का हिस्सा बढाये जाने के आदेश दिये जाकर भूमि राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने के आदेश दिये जावे।

लिहाजा बदूरुस्ती हौश हवास बिना किसी जब्र एवं दबाव के यह राजीनामा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1—2 व 5 ने तहरीर व तकमील करा दिया है जिसे पढवा सुन समझ सही मानकर स्वीकृति स्वरूप अपने अपने हस्ताक्षर/अंगुठा निशान कर दिये है कि सनद रहे वर वक्त काम आवे।

श्री मान जी की अति कृपा होगी।

हस्ताक्षर/अ0नि0 पक्षकारान/राजीनामा कर्ता

Sohan Singh

वादी—सोहनसिंह पुत्र गुरदीपसिंह

प्रतिवादी सं.1—गुरदीपसिंह पुत्र गुरबचनसिंह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रति.सं. 2—हरदीपकौर पत्नी गुरदीपसिंह

RTE
हरदीपकौर

प्रति.सं. 5—मन्दरसिंह पुत्र गुरबचनसिंह

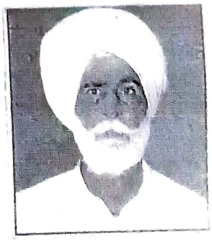

प्रस्तुत कर्ता अधिवक्तागण दौनो पक्षान

Om Prakash Sharma
Advocate

Navratan Swami
Advocate